समाहरणालय, अररिया
(जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/आवंटन 01/2016 सो0 278 दिनांक 21.02.2018 एवं 1325 दिनांक 18.10.2017 द्वारा **वित्तीय वर्ष 2017-18 में छः माह के व्यय हेतु** सामान्य प्रशासन विभाग से मांग संख्या 33 के अंतर्गत योजना मद बजट मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0122-बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (विपत्र कोड-P205200920122) राज्य योजना स्कीम कोड-GEN5513 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतनादि मद में बी0आर0पी0जी0आर0ए0 के क्रियान्वयन हेतु **एम0टी0एस0 के मद में राशि मो0 3,76,650.00(** तीन लाख छियहतर हजार छः सौ पचास) रूपये एवं मो0 75330.00 (पचहतर हजार तीन सौ तीस) रूपये कुल **मो0 4,51,980.00 (चार लाख एकावन हजार नौ सौ अस्सी)** रुपये इस जिला के बैंक खाता में हस्तान्तरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उक्त प्राप्त आवंटन विषय शीर्ष 3104 सहायक अनुदान-वेतनादि मद की राशि **मो0** 4,51,980.00 (चार लाख एकावन हजार नौ सौ अस्सी) रुपये को **एम0टी0एस0 के मानदेय भुगतान हेतु निम्न प्रकार उपावंटित की जाती है ।**

वेतनादि मद में (3104) उपलब्ध करायी जा रही राशि का विवरण :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	Monthly Exp. On MTS			कुल 06 माह के लिए उपावंटित राशि
		Senction	Working	Exp@12555/-	
1.	जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, अररिया	06	06	75330.00	4,51,980.00
				कुल राशि :-	4,51,980.00

(मो0 चार लाख एकावन हजार नौ सौ अस्सी) रुपये।

विषय शीर्ष 3104 वेतनादि मद में उपलब्ध करायी जा रही राशि का उपयोग जिला/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत बाह्य श्रोत से रखे गए मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ अथवा गृह रक्षक के पारिश्रमिक/कर्तव्य भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मल्टी टास्किंग स्टॉफ/गृह रक्षक की श्रेणी में मासिक व्यय की गणना में गृह रक्षक के मसिक कर्तव्य भत्ता को आधार बनाया गया है। BRPGRA कार्य हेतु सेवा प्राप्त किए गए गृह रक्षकों क भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा, परन्तु बाह्य श्रोत से मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ की सेवा प्राप्त की गयी है। उनका भुगतान मो0 10000.00 (दस हजार) रू0 प्रतिमाह की निर्धारित अधिसीमा में किया जाएगा।

उपावंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए तथा औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय।

बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य समतुल्य वित्तीय प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके।

उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय पूरी छान-बीन के पश्चात नियमानुसार किया जाएगा अन्यथा किसी छद्मपूर्ण या अनियमितता भुगतान की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

उपावंटित राशि का विचलन अन्य इकाई मद में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपावंटित राशि के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर तर्क संगत रुप से राशि की अधियाचना पूर्व में कुल उपावंटित राशि, अद्यतन व्यय एवं अवशेष राशि के साथ की जाय।

जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया उपावंटित राशि का चेक संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब ससमय जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि विभाग को जिला स्तर से संकलित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जा सके।

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक- 152 /स्था0, दिनांक- 26/03/2018

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, अररिया को सूचनार्थ तथा आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिला नजारत उप समाहर्त्ता, अररिया से सम्पर्क स्थापित कर चेक प्राप्त कर लेंगे।

प्रतिलिपि : जिला आई0 टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

26/3/18
जिला पदाधिकारी,
अररिया